संख्या–UO 123/9–आ–2–/2002

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग, उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊः दिनाँक–23 दिसम्बर, 2002

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 3840/11–5–86–18 मिस/78 दिनांक 4 जून 1986 एवं शासनादेश संख्या 2905/37–1–2–91 एच/91 दिनांक 25 नवम्बर, 1991 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 1991 में निम्न प्रकार से परिवर्तन किये जाते हैंः–

2– आरक्षण के मद–1 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित 2 प्रतिशत आरक्षण में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 एवं आवास बन्धु, उ0प्र0 के कार्मिक भी सम्मिलित होंगे।

3– उक्त आरक्षण का लाभ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के केवल उन्हीं नियमित कार्मिकों को मिल सकेगा जिन्होंने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

4– आवास बन्धु के केवल वहीं कार्मिक उक्त आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने आवास बन्धु में कम से कम 2 वर्ष की निरन्तर सेवा पूा कर ली हो।

कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 1991 को उक्त सीमा तक तात्कालिक प्रभाव से संशोधित माना जाय।

भवदीय,

जे0एस0 मिश्र
सचिव।

संख्या :– UO 123 (1)/9–आ–2–2002–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुभाग–1 एवं 2

आज्ञा से,

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव।